

**आदेश पत्रक**

केश का प्रकार - दाखिल खारीज  
अभिलेख संख्या - 119/2016-17

<p>आदेश की क्रम संख्या और तारीख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित</p>
<p>12/5/16</p>	<p>श्री.....<del>बकरी</del> राना..... पिता <del>राम</del> दीपन..... राना ग्राम..... चतरी..... अंचल देवरी जिला गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यारे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री <del>रानी</del> सिंह..... ..... पिता <del>राम</del> सुरदयाल सिंह ग्राम..... चतरी..... ..... अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 1189 दिनांक 15/2/93 के द्वारा क्रय किया गया है। ग्राम थाना न0 खाता न0 प्लॉट न0 रकवा चतरी 527 52 1879 0.084</p>	
	<p>पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें। अभिलेख दिनांक 3/6/16 को उपस्थापित करें। लेखापित अंचल अधिकारी, देवरी। अंचल अधिकारी, देवरी।</p>	

30/5/2016

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नही दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरूआ खास/ रेयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भेलूम संख्या.....के पृष्ठ संख्या..... पर विकेता.....के नाम जमाबंदी दर्ज

है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एंव सैरात से बाहर है जमीन पर केता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एंव अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण केता श्री/श्री मति देवरी राना पिता/पति दीपन राना ग्राम चलरी के नाम दावेदित किया जाता है।

ग्राम	थाना न०	खानु प्लॉट न०	रकवा	माल
चलरी	527-52	1879	0.0820	1.00 रु अ०३६

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एंव संसोधित

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

Handwritten signature and text on the right side of the page.